**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**सोमवार, 28 जुलाई, 2014, 6 श्रावण, 1936 (शक) अतारांकित प्रश्‍न सं. 2096**

**राजमार्गों का अनुरक्षण**

**2096. श्री पी. राजीव:**

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) और मंत्रालय के पास राजमार्गों के समुचित अनुरक्षण के लिए विशिष्ट योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में इस प्रयोजनार्थ खर्च की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन एच ए आई ने किसी राज्य में राजमार्गों के अनुरक्षण से अपना हाथ खींच लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री कृष्‍णपाल गुर्जर)**

(क) राष्‍ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण का कार्यान्‍वयन एजेंसी आधार पर किया जा रहा है । राज्‍य लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन और भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कार्यान्‍वयन एजेंसियां हैं । अनुरक्षण कार्य या तो बजटीय सहायता से अथवा निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्‍यम से निष्‍पादित किए जाते हैं । सार्वजनिक वित्‍त पोषण के माध्‍यम से विकसित राष्‍ट्रीय राजमार्गों के खंड़ों का अनुरक्षण, प्रचालन-अनुरक्षण-अंतरण (ओएमटी) के रूप में परिभाषित दीर्घावधिक ठेकों के माध्‍यम से किया जा रहा है जबकि निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्‍यम से विकसित राष्‍ट्रीय राजमार्गों के खंड़ों का अनुरक्षण रियायतग्राही द्वारा रियायत करार के अंतर्गत उसके दायित्‍व के एक भाग के रूप में किया जा रहा है । उक्‍त दोनों विधियों के अंतर्गत शामिल न किए गए खंड़ों का अनुरक्षण एजेंसियों की सहायता से बजटीय सहायता के माध्‍यम से किया जाता है ।

(ख) जून, 2014 की स्‍थिति के अनुसार वर्ष 2014-15 के दौरान राष्‍ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए 589.45 करोड़ रू. व्‍यय किए गए हैं ।

(ग) और (घ) केरल में भूमि अधिग्रहण की धीमी प्रगति को देखते हुए, राष्‍ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, चरण-III के अंतर्गत 4 लेन बनाने के लिए सौंपे गए राष्‍ट्रीय राजमार्ग-17 के कुटृटीपुरम-ईडापल्‍ली खंड़ और राष्‍ट्रीय राजमार्ग-47 के चरथेला-ओरचेरा-तिरूअनंतपुरम खंड़ राज्‍य सरकार द्वारा विकास और अनुरक्षण किए जाने के लिए मार्च 2014 में वापस राज्‍य सरकार को सौंप दिए गए हैं ।

\*\*\*\*\*\*